पाकिस्तान में नजरबन्द भारतीय

*676. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के कार्यालय के कर्मचारियों को वहां पर नजरबन्द किये गये भारतीय लोगों से मिलने की अनुमति नहीं दी;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन लोगों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के अधिकारियों को बंदी भारतीय राष्ट्रिकों के कुछ लोगों से मिलने की जाज़त दे दी गई है। पाकिस्तान सरकार सदा ही उनके साथ बुरा बर्ताव करती है; खासकर उन दिनो में जब वह नए-नए बंदी बनाए जाते हैं। इन सब लोगों को स्वदेश वापस लाने की कोशिश की जा रही है।

Chinese Claim of Suzerainty over Tibet

*677. **Shri Hari Vishnu Kamath:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 357 on the 22nd November, 1965 and to supplementaries thereon and state:

(a) whether he has since examined the matter regarding the Chinese claim of suzerainty over Tibet; and

(b) if so, with what result?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) and (b). The Government of India had taken the position that China had suzerainty over Tibet At the same time, we had recognized Tibet's right to autonomy and attached great importance to it. We are in favour of the restoration of the fundamental freedoms and human rights in Tibet. There has been no change in this stand of ours.

Instructions from Ministry of External Affairs

*678. **Shri Sinhasan Singh:**
Dr. L. M. Singhvi:
Shri Narendra Singh Mahida:
Shri Sham Lal Saraf:

Will the **Minister of External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the instructions contained in letter No. F. 120-13/48-OS (III) dated the 6th August, 1948 from the Ministry of External Affairs and Commonwealth Relations to the Chief Secretaries of the States are still in force after the undeclared war between Pakistan and India;

(b) if so, the steps Government have taken to get the examination of the witnesses in Pakistan executed on the commission issued by Civil Courts in India and *vice-versa;* and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, whether Government have issued a circular letter to the State Governments to the contrary?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) Yes Sir; a instructions are still in force.

(b) and (c). The Letters of Request, Commission, etc., issued by the Civil Courts in India for examination of witnesses, in Pakistan and *vice versa* are being transmitted through diplomatic channels for execution and return.

दिल्ली क्लाथ मिल्स तथा स्वतंत्र भारत मिल्स के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

*679. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री मधु लिमये :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री काशीराम गुप्त :
श्री हेम बरुआ :
श्री राम सेवक यादव :
श्री स० च० सामन्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प० ह० भील :
श्री बूटा सिंह :
डा० रानेन सेन :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री किशन पटनायक :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री नाथ पाई :
श्री शिव नारायण :
श्री याज्ञिक :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली क्लाथ मिल्स तथा स्वतन्त्र भारत मिल्स के लगभग 20,000 कर्मचारियों को न तो बोनस भुगतान अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत पिछले चार वर्षों का बकाया बोनस दिया गया है और न ही उन्हें कोई लेखे दिखाये गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन मिलों के कमचारी संघों ने इस बारे में सरकार को शिकायत लिख कर भेजी है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री दा० संजीवैया) : (क) से (ग). केवल एक यूनियन अर्थात् कपड़ा मिल मजदूर संघ से शिकायत प्राप्त हुई है । दिल्ली क्लाथ मिल्स और स्वतंत्र भारत मिल्स के कमचारियों को बकाया बोनस के भुगतान के बारे में वर्तमान स्थिति सम्बन्धी एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

वर्ष	स्थिति
1960–61 और 1961–62	दिल्ली क्लाथ मिल्स और स्वतंत्र भारत मिल्स ने कर्मचारियों को 1960–61 वर्ष के लिए 3 मास और 10 दिन की मजूरी तथा 1961–62 वर्ष के लिए 3 मास की मजूरी बोनस के रूप में दी । उक्त दो वर्षों के लिए अतिरिक्त बोनस का दावा औद्योगिक न्यायाधिकरण, दिल्ली में अनिर्णीत पड़ा है प्रारम्भ में कामगरों की 7 यूनियनें विवाद में पक्ष थे इनमें से 6 यनियनों ने अपने दावे वापस ले लिये हैं क्योंकि मैनेजमेंट ने कर्मचारियों के दावे के समझौते के लिए वेतन या मजूरी का और 1½ प्रतिशत देने का प्रस्ताव किया है । इस समय केवल एक यूनियन अर्थात् कपड़ा मिल मजदूर संघ न्यायाधिकरण में इस मामले की पैरवी कर रहा है । न्यायाधिकरण के अवार्ड की प्रतीक्षा है ।
1962–63	इस सम्बन्ध मे उचित प्राधिकारी के सामने कोई भी दावा नहीं किया गया है ।
1963–64	मैनेजमेंट ने 27-10-1964 के समझौते के अनुसार कुल औसत मजूरी (मूल मजूरी और महंगाई भत्ता) का 8½ प्रतिशत पहले ही बोनस के रूप में बांट दिया है । इस समझौते में बोनस

वर्ष	स्थिति
	की मात्रा के पुनर्विचार की व्यवस्था है । इस समझौते में यह भी व्यवस्था है कि पिछले वर्षों का विवाद वापस ले लिया जायगा । मैनेजमेंट ने अब यह तर्क दी है कि चूंकि एक यूनियन द्वारा वापसी स्वीकार नहीं की गई है और 1960–61 तथा 1961–62 वर्षों का मामला अभी भी औद्योगिक न्यायाधिकरण, दिल्ली में अनिर्णीत पड़ा है अतः वे 63–64 वर्ष के लिए बोनस की अन्तिम संगणना पर पुनर्विचार तब करेंगे जब 1960–61 और 1961–62 वर्षों के विवादों का न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम निपटारा हो जायगा । यूनियनों से यह शिकायत प्राप्त करने पर कि मैनेजमेंट द्वारा की गई समझौते की व्याख्या ठीक नहीं है, यह मामला दिल्ली प्रशासन द्वारा मैनेजमेंट के साथ विवाद निपटाने के दृष्टिकोण से उठाया जा रहा है । लेबर यूनियनों को दिखा दिये गये हैं ।

U.N. Budgetary Committee

***680. Shri Hari Vishnu Kamath:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian Delegation to the United Nations recently opposed the United Nations Budgetary Committee's proposal for re-imbursement of expenditure only by economy class for travel by all delegations from their respective countries to the United Nations Headquarters for attending Sessions of the General Assembly or other bodies of the United Nations Organisation; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) and (b). The Indian delegation expressed certain reservations in regard to the adoption of this proposal on the ground that it discriminates against the developing countries of Asia and Africa and India abstained in the vote on the resolution, which was adopted by the Fifth Committee of the U.N. General Assembly.

National Defence Fund

***681. Shri Yashpal Singh:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether he has received complaints about the coercion exercised by the officials in the collection towards the National Defence Fund in the various States;

(b) if so, the action taken thereon; and

(c) the measures taken to stop such anti-social activities of such officials ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri): (a) to (c). Contributions to the National Defence Fund are entirely voluntary and Government have made this clear repeatedly. The State Governments also have been suitably advised in this regard. However, any complaints about the methods employed for receiving contributions to the National Defence Fund are referred to the State Governments concerned for attention and necessary action.

Review of the Institute of Strategic Studies, London

***682. Shri P. C. Borooah:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the lately published Review of the Institute of Strategic